संख्या-603/2022/2037/22-2-2023-17(792)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 20 अक्टूबर, 2023*

विषय:-केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओंकार पुत्र श्री सुखदीन, निवासी जनपद-रायबरेली, वर्तमान जनपद-अमेठी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14762/प्रोबे-5-दया0 बैठक-31-03-2023 दिनांक 09-05-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओंकार पुत्र श्री सुखदीन, निवासी-पाकरगांव, थाना- मोहनगंज, जनपद-रायबरेली, वर्तमान जनपद-अमेठी का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीन विवाद को लेकर दिनांक 03-11-1983 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा व बन्दूक से गोली मारकर 03 लोगों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-29/1984 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश रायबेरली के आदेश दिनांक 25.09.1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-01-2014 द्वारा सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 20.11.2022 तक 09 वर्ष, 10 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष, 05 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी द्वारा जमीन विवाद को लेकर दिनांक 03-11-1983 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा व बन्दूक से गोली मारकर 03 लोगों की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट अमेठी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी ओंकार (बन्दी संख्या-323/19) पुत्र श्री सुखदीन, निवासी जनपद-रायबरेली वर्तमान जनपद अमेठी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-603/2022/2037(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली/अमेठी।

2-पुलिस अधीक्षक, रायबरेली/अमेठी।

3-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6-नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित क्रि0मिस रिट याचिका सं0-5725/2023 ओंकार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25-07-2023 के सन्दर्भ में।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।